भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 397176

ट्रस्ट का स्मृति पत्र (Memorandum of Trust)

1. Name of Trust : **Muslim Social Welfare & Educetional Trust**

2. Address : **Gram-Bhira, Post- Bhopaur, Ghosi, Distt- Mau (UP.) –275302.**

3. Activities Area of Trust : Trust का विस्तार सम्पूर्ण भारत वर्ष एवं विदेशों में भी होगा।

4. Purpose of Trust : ***Trust*** का निम्नलिखित उद्देश्य है –

1. *भारतीय संस्कृति परम्परा के आधार पर सादा जीवन उच्च विचार आधारित प्रारम्भिक विद्यालय से लेकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय, विभिन्न विषयों (साहित्यिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक, खगोलिय, भाषा, ज्ञान, विज्ञान, प्रकृति, प्राणी, जड़, जंगल, खनिज, पानी, इत्यादि) पर शोध करना एवं शोध हेतु प्रयोगशालायें आदि स्थापित एवं संचालित करना तथा राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास एवं प्रचार–प्रसार करना, जिसमें भारतीयता, सामाजिकता, स्वदेश प्रेम, समाज सेवा आदि की भावना उत्पन्न हो।*

2. *मुस्लिम समुदाय के विकास हेतु भारतीय संविधान की अनुच्छेद 29 व 30 के नियमानुसार विशेष कर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक विद्यालय/महाविद्यालय, अल्पसंख्यक महिला विद्यालय /महाविद्यालय, मदरसा व अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, महाविद्यालय,* ***Medical College, Engineering College, Dimmed University,*** *स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालय,* ***Polytechnic College, I.T.I. College, Nursing School, Medical College-cum-Hospital, Ward-Boy Training College, Low College, Commercial Education*** *से सम्बन्धित* ***College*** *व* ***Post Graduate College,*** *इत्यादि अन्य* ***Higher Education Institutes*** *तथा अन्य* ***Technical Institutions,*** *वैज्ञानिक व* ***Research Institutions*** *इत्यादि संचालित करना एवं इनके विकास व शिक्षण–प्रशिक्षण आदि के*

शाहजादे

मुख्तार अहमद
स्टाम्प विक्रेता लाइ० ...
लाइसेंस न०... 1

उप कोषागार
स्टाम्प
DEC 2014
तहसील, कोसी कलां

रहन स्वामित्वाधीन
5000/-

1/-

शहजाद

28-11-14

महजादेस्वरी
सरफराज अहमद
महबूब उस्मान
शहजाद
सरफराज अहमद
28-11-14

...नियमानुसार लिये गये

28-11-14

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AK 847848

लिये संसाधनो की व्यवस्था करना तथा अल्पसंख्यक कल्याण आयोग व अन्य विभागों से जुड़कर इनके द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना, कराना व प्रचार–प्रसार करना व कराना तथा अल्पसंख्यक कल्याणकारी संगठनों से जुड़कर इनके हित में कार्य करना व कराना तथा इनके विकास व कल्याण हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण आदि शिविरों का आयोजन करना तथा इन कार्यों हेतु सरकारी/अर्धसरकारी/गैर सरकारी/एन.जी.ओ., स्वदेशी व विदेशी संस्थाओं से ऋण, चन्दा व अनुदान तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करना व सहायता देना।

3. शिशु एवं बालकों को School पूर्व शिक्षा देने का कार्य करना। बालक–बालिकाओं में अनुशासनात्मक ढंग से शिक्षा ग्रहण करने की भावना उत्पन्न करना एवं Co-Education पर आधारित विभिन्न प्रशिक्षण व शोध आदि संस्थानों की स्थापना व संचालन करना तथा आर्थिक रुप से कमजोर एवं असहाय लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। Trust से सम्बन्धित सदस्यों, पदाधिकारी गण एवं कर्मचारियों को आर्थिक, चिकित्सकीय आदि प्रकार की सुविधायें प्रदान करना। साथ ही साथ Trust से जुड़े सदस्यों, पदाधिकारीगण एवं कर्मचारियों के परिजनों हेतु पठन–पाठन, रहन–सहन, आर्थिक, शिक्षा हेतु, मकान बनवाने, दुकान की स्थापना करने एवं रोजगार देने हेतु विशेष व्यवस्था एवं मदद करना। इनके कल्याण हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण आदि शिविरों का आयोजन करना।

4. विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु Hostel, खेलकूद एवं देशाटन तथा जीम House आदि की व्यवस्था व संचालन करना। शिशु/बालकों/विद्यार्थियों/प्रौढ़ों हेतु के लिये विशेष बौद्धिक शिविर लगाकर विभिन्न ज्वलन्त विषयों की जानकारी देना व प्रशिक्षित करना जिससे समाज एवं राष्ट्र की सुरक्षा हो सके।

5. मातृ एवं शिशु कल्याण हेतु जच्चा–बच्चा स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना। इनके कल्याण हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण आदि शिविरों का आयोजन करना।पूरे देश में व समाज में समाजवादी सोच एवं समरसता की भावना उत्पन्न करना तथा देश की एकता एवं अखण्डता हेतु विभिन्न एवं राष्ट्रहित के कार्यों का सम्पादन करना एवं कराना।

6. स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें संचालित कराना एवं इनके द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देना, इनकी स्थापना कर इनके लिये कच्चे माल की व्यवस्था करना/कराना और इनके द्वारा तैयार वस्तुओं को बाजार में विक्रय करना/कराना तथा इनके कल्याण हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण आदि शिविरों का आयोजन करना।

शाहजादे

3

3

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 847849

7. क्षेत्र के लोगों में सामाजिक, नैतिक, आर्थिक रुप से स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करना एवं क्षेत्र के बेरोजगारों को प्रशिक्षित कराकर तथा कारीगरों की व्यवस्था करना एवं कराना तथा इनके कल्याण हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण आदि शिविरों का आयोजन करना।

8. खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन, कापार्ट, हुडा, सूडा, डी. आर. डी. ए., नाबार्ड, सिफ्सा, डी.आई.सी. व अन्य सरकारी/अर्धसरकारी/गैर सरकारी संस्था/एन.जी.ओ. से जुड़कर या इन्हें अपने साथ जोड़कर इनकी योजनाओं को संचालित करना तथा अपनी योजनाओं के विस्तार हेतु इनके द्वारा संचालित कराना।

9. अनुसूचित जनजाति एवं दलितों के छात्रों/छात्राओं के शिक्षा की उचित व्यवस्था करना तथा इनके कल्याण हेतु कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना। अनुसूचित जाति कल्याण आयोग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं को विकसित एवं प्रचार–प्रसार करना व कराना एवं इस क्षेत्र में कल्याणकारी कार्य करने वाली संस्थाओं से जुड़कर एवं जोड़कर कार्य करना एवं कराना।

10. वृद्धों के लिये वृद्धा आश्रमों, बालकों के लिये संरक्षण गृहों आदि की स्थापना एवं संचालन करना/कराना। वृद्ध/विकलांगों के कल्याण हेतु कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना तथा शिक्षित–प्रशिक्षित करने हेतु विशेष शिक्षण की व्यवस्था करना तथा इन्हें कल्याणकारी व रोजगार परक प्रशिक्षण मुहैया कराकर रोजगार की व्यवस्था करना। वृद्ध/विकलांगों के लिये आश्रम, असहायगृह व अनाथालय आदि की स्थापना करना व कराना तथा इनके कल्याण हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण आदि शिविरों का आयोजन करना।

11. इसाई/बौध्द/जैन/मुस्लिम इत्यादि अल्पसंख्यकों एवं विभिन्न धर्मों व ट्रस्टों से जुड़कर कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना/कराना तथा इनसे इस हेतु ऋण, चन्दा व अनुदान तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करना व सहायता देना।

12. असहाय एवं गरीबों हेतु बिना जाति का ध्यान दिये तथा अन्य लोगों के लिये भी आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना व महिलाओं हेतु **Hostel** शिक्षा की व्यवस्था करना तथा सर्व–धर्म व सम–भाव का विकास करते हुए, सबके लिये कल्याणकारी योजनाओं को संचालन व समाज को समरसता के मार्ग पर चलकर समाज में जीवन यापन करने हेतु प्रोत्साहित करना। इनके कल्याण हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण आदि शिविरों का आयोजन करना।

13. जल शुद्धिकरण परियोजना, वायु प्रदुषण से मुक्ति हेतु कल्याणकारी योजनाओं पर शोध कार्य कराना व उनका प्रचार–प्रसार करना तथा जल, थल, वायु, आकाश, मानव, पक्षी, जीव–जन्तु आकाशीय पक्षी, जलीय पक्षी, जलीय जीव–जन्तु, थलीय पक्षी/जीव–जन्तु, स्थावर, चल–अचल सभी के कल्याण हेतु कल्याणकारी योजनाओं का संचालन व संवर्धन करना। इनके कल्याण हेतु प्रचार–प्रसार आदि शिविरों का आयोजन करना

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 847850

तथा इन कार्यों हेतु सरकारी/अर्धसरकारी/सहकारी/गैर सरकारी संस्था, स्वदेशी व विदेशी संस्थाओं से ऋण, चन्दा व अनुदान तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करना व सहायता देना।

14. जल, जंगल, जमीन, चाँद, मंगल तथा अन्तरिक्ष इत्यादि में शोध व कल्याणकारी खोज करना व कराना तथा ऐसा करने वाले संस्थाओं से जुड़कर कार्य करना व कराना। इनके कल्याण हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण आदि शिविरों का आयोजन करना।

15. देश व विदेश में भी विभिन्न स्थानों पर कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु अपने Trust की शाखा कार्यालय की स्थापना करना व कराना तथा विभिन्न प्रकार के विद्यालयों जो कि ऊपरवर्णित हैं। उनका स्थापना एवं संचालन करना/कराना। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं को सम्बद्ध कर उनके माध्यम से कार्य करना/कराना, तथा इन कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण आदि शिविरों का आयोजन करना तथा इन कार्यों हेतु सरकारी/अर्धसरकारी/सहकारी/गैर सरकारी संस्था, स्वदेशी व विदेशी संस्थाओं से ऋण, चन्दा व अनुदान तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करना व सहायता देना।

16. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, Vocational Training center, मुफ्त कोचिंग सेन्टरों आदि दृश्य व श्रव्य यंत्रों द्वारा शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था एवं विकास करना।

17. बेरोजगारी उन्मूलन हेतु विभिन्न रोजगार परक कार्यक्रमों का संचालन जो कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, आई.डी.बी.आई., सिडबी, लघु उद्योग निगम, नाबार्ड, राष्ट्रिय महिला कोष, आर.बी.आई., एवं विश्व बैंक आदि से संचालित कार्यक्रमों का संचालन व प्रचार–प्रसार व शिविर का आयोजन एवं शिक्षण–प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि करना व कराना।

18. मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, यूनिसेफ, डब्लू.एच.ओ., सिडबी., नाबार्ड, नोराड, डकवारा, आई.आर.डी.पी. एस., जे.आर.वाई., अम्बेडकर ग्राम, समग्र ग्राम योजना, स्वजल धारा, सिप्सा, ऐप्सा, मनरेगा एवं समस्त केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों व अर्धसरकारी/सहकारी/गैर सरकारी संस्था/कारपोरेट सेक्टर, स्वदेशी व विदेशी संस्थाओं इत्यादि के कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना व कराना तथा इस निमित्त ऋण, चन्दा व अनुदान तथा आर्थिक सहायता इत्यादि प्राप्त करना।

19. परिवार नियोजन पर कार्य करना, इस हेतु विभिन्न स्थानों पर नसबन्दी शिविरों इत्यादि का संचालन करना, टीकाकरण, पल्स पोलियो, हेपेटाइटीस के समस्त स्वरुपों इत्यादि का शिविर लगाकर टीकाकरण कराना तथा अपंगता, कुष्ठ, टी.बी., दमा एवं अन्धता निवारण केन्द्रों की स्थापना करना। लाइलाज बिमारियों जैसे–एड्स, कैन्सर इत्यादि के बचाव हेतु उपायों को लोगों तक पहुंचाना व इनके प्रति लोगों में जागरुकता पैदा

5

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 847851

करना तथा नित्य उत्पन्न होने वाली नई विमारियों की जानकारी व इनके रोकथाम की उपाय लोगों को बताना, तथा इन कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण आदि शिविरों का आयोजन करना।

20. नशा उन्मूलन पर कार्य करना तथा इसके प्रति युवाओ मे जागरुकता पैदा करना तथा इस हेतु जगह–जगह नुक्कड़ सभा आदि करना व कराना। मेला प्रदर्शनी, उत्सव, महोत्सव इत्यादि का आयोजन करना/कराना, पशुओं के क्रय–विक्रय का मेला आयोजित करना। नशीली दवा जागरुकता एवं परामर्श केन्द्रों की स्थापना करना एवं सचल डिस्पेन्सरी व शिविरों व शिक्षण–प्रशिक्षण शिविरों की व्यवस्था हेतु विभिन्न संस्थाओं से चन्दा व अनुदान तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करना।

21. जनहित में एन.जी.ओ. हेल्पलाइनों की स्थापना करना तथा इनके द्वारा शिक्षण–प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना व नागरिकों को उनमें संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों इत्यादि की जानकारी दी जा सके एवं जनता व प्रशासन के बीच सामन्जस्य स्थापित की जा सके। उनकी आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य प्रकार की मदद की जा सके।

22. समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, लेखों, उपन्यासों, आदि का प्रकाशन करना तथा इस हेतु प्रेस इत्यादि स्थापित करना, तथा लाईब्रेरी, कलाकेन्द्र, उद्यान व साहित्य इत्यादि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना।

23. सूचना के तीव्र आदान–प्रदान हेतु सूचना केन्द्र, इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनल, सूचना विज्ञान केन्द्र, गैर सरकारी दूरदर्शन केन्द्र इत्यादि की स्थापना करना। डाक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण एवं प्रदर्शन व प्रचार–प्रसार करना।

24. भूमि सुधार हेतु भूमि को ऊपजाऊ बनाने के लिये भूमि सेना का गठन कराकर कार्य कराना। पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करना। वन्य जीवों की सुरक्षा एवं जल जन्तुओं की सुरक्षा करना। विभिन्न योजनाओं द्वारा वृक्षारोपण कराना व इससे लोगों को होने वाला लाभ बताना। इन योजनाओं के संचालन हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण इत्यादि एवं शिविरों का आयोजन करना।

25. छोटे लघु, कुटीर, घरेलू उद्योगों, कोल्डस्टोरेज, राइसमिलें, जरी उद्योग इत्यादि की स्थापना कराकर रुरल एरिया में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना।

26. राष्ट्रहित, समाजहित एवं वैज्ञानिक, शिक्षा, खेल–कूद, ऐतिहासिक या जल, थल और आकाश मे इत्यादि किसी भी क्षेत्र में साहसिक कार्य करने वाली प्रतिभाओं को, आदर्श व्यक्तियों को, राजनितिक व्यक्तियों को, लेखक इत्यादि को विभिन्न पुरस्कारों से एवं सम्मान पत्रों के माध्यम से सुशोभित एवं सम्मानित करना।

27. श्रम विभाग, बालश्रम उन्मूलन, किशोर न्याय बोर्ड से जुड़कर कार्य करना तथा विशेष टास्क फोर्सों का गठन कर बाल श्रम कराने वाली संस्थाओं, दुकानों इत्यादि मे बालश्रमिकों को चिन्हित कर एवं बंधुआ मजदूरों को

6

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 847852

मुक्त कराकर इन्हें शिक्षित करना एवं इनके रोजगार की व्यवस्था करना व इनके लिये बाल श्रमिक विद्यालय की स्थापना करना एवं संचालन करना।

28. विशेष टास्क फोर्सों का गठन कर देह व्यापार होने वाले स्थानों पर/रेड लाइट एरिया में छापा डालकर देह व्यापार करने वाली महिलाओं को मुक्त कराना एवं इनके कल्याण हेतु कार्य करना/कराना व शिक्षण-प्रशिक्षण देना एवं इन्हें रोजगार हेतु प्रशिक्षित करना/कराना एवं इनके रोजगार की व्यवस्था करना एवं इनके स्वास्थ की नियमित जांच कराना। इनके बच्चों को उचित शिक्षण-प्रशिक्षण देना व **Vocational Training** देना जिससे वह स्वावलम्बी बन सके। मानव अंगों की बिक्री, देह व्यापार इत्यादि जैसे जघन्य अपराधों एवं घृणित कार्यों का पता लगाना एवं ऐसा करने/कराने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं आदि के प्रति दण्डित कराने का प्रयास करना व रोक लगाना।

29. राष्ट्रद्रोही गतिविधियों, आतंकवाद, नक्सलवाद इत्यादि के खिलाफ मुहिम चलाना तथा ऐसी गतिविधियों का पता लगाकर खुलासा करना।

30. मानवाधिकार संरक्षण पर कार्य करना तथा मानवाधिकार आयोग से जुड़ कर कार्य करना एवं उसके अनुपालन हेतु कटिबद्ध होना।

31. रेडक्रास सोसायटी से जुड़ कर कार्य करना व मानव सेना का गठन करना जिसके द्वारा नागरिकों की सेवा, सहयोग और सुरक्षा की जा सके।

32. विश्व में स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने हेतु स्वास्थ चिकित्सा कार्यक्रम, ऐलोपैथिक, यूनानी व आयुर्वेदिक योगा, सिद्ध व स्थानीय जड़ी-बुटियों की पहचान, प्रचार व प्रसार करना तथा औषधि निर्माण फार्मेसी की स्थापना करना।

33. सेमिनार, प्रशिक्षण, खेल-कूद इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा विभिन्न स्थानों पर रात्रि निवास हेतु यात्री निवास गृह, होटल, हास्टल, लाज, धर्मशालायें, ढाबा इत्यादि की स्थापना करना एवं विभिन्न स्थानों पर मठ, मन्दिर, धार्मिक स्थल, चर्च, गिरजा घर, आश्रम, सेवा आश्रम व बैठक हाल इत्यादि का निर्माण करना/कराना।

34. प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य करना तथा राष्ट्र व जनहित में आर्थिक व अन्य प्रकार की मदद करना।

35. विभिन्न छोटे व बड़े औद्योगिक, राजनैतिक, आर्थिक इत्यादि हस्तियों का संगठन बनाकर **Trust Board** के रुप में स्थापित करना एवं उनके सहयोग से जनहित में विकास कार्य करना/कराना।

शाहजाद

7

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 847853

36. भूतपूर्व व शहीद सैनिको के आश्रितों/परिवार जनों के कल्याण के लिये के लिये कार्य करना।

37. सरकारी/अर्धसरकारी/सहकारी/गैर सरकारी संस्था/विश्व बैंक द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को जिसमें स्वदेशी व विदेशी संस्थाओं एवं केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के विभिन्न मन्त्रालयों जैसे- ग्राम्य विकास, शहरी विकास, अनुसूचित जाति/जन जाति, आदिवासी, कारपोरेट, कपड़ा, रेल, उड्डयन, वाणिज्य, कृषि के विभिन्न आयामों, कृषकों के कल्याण, कान्ट्रेक्टर फार्मिंग, ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग, भारी उद्योग, खाद्य-रसद एवं आपूर्ति, उपभोक्ता मामलों, सांस्कृतिक, धार्मिक मामलों, अल्पसंख्यक, वन, मानव संसाधन विकास, खनिज, महिला एवं बाल विकास, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ सम्बन्धित, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राकृतिक, प्रदूषण, पेट्रोलियम, नदियों के साफ-सफाई, पर्यावरण, जहाज रानी, सिंचाई, पर्यटन, प्राकृतिक/अप्राकृतिक/वैकल्पिक/ऊर्जा बायो गैस/सौर ऊर्जा, सोशल एण्ड ओल्ड एज एण्ड विकलांग, श्रम, लोक निर्माण, बाल पुष्टाहार, सड़क एवं परिवहन, स्टील/लौह, रक्षा, वित्त एवं गृह इत्यादि समस्त मन्त्रालयों तथा योजना आयोग व समस्त पंचवर्षीय योजनाओं इत्यादि के विषयों पर जनहित मे योजना बनाकर वृहद/लघु कार्य करना व कराना।

38. जनहित में ग्राम समाज, नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर निगमों एवं महानगर की बंजर भूमि/नजूल लैण्ड/खाली जमीनों पर इनके माध्यम से दुकान, लघु उद्योग इत्यादि की स्थापना कर संचालित करना।

39. जनहित मे आपूर्ति विभाग द्वारा सस्ते गल्ले, चीनी, मिट्टी का तेल व अन्य कार्यक्रमों को संचालित करना।

40. युवा मिलाप केन्द्रों की स्थापना करना, युवा परिचय सम्मेलन का आयोजन करना व इस हेतु युवक/युवतियों का सेमिनार गोष्ठी, सम्मेलन इत्यादि का आयोजन करना।

41. किसी निजी जमीन को क्रय-विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस **Trust** से संचालित संस्थाओं/संस्थानों को भूमि-भवन को पट्टे पर देना या दान के स्वरुप देना जिससे उस पर ऊपरवर्णित संस्थाओं/संस्थानों को सुचारु रुप से चलाया जा सके।

42. जनहित मे भारत सरकार द्वारा संचालित 20 सूत्रीय कार्यक्रमों का संचालन करना।

43. पर्यटन स्थलों का विकास करना। जनहित मे पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना एवं संचालन करना। फल संरक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना। मेधावी छात्रों, डाक्टरों, इंजीनियरों को विदेश पठन-पाठन, प्रशिक्षण एवं अन्य कार्य हेतु भेजना तथा विदेशियों को अपने यहाँ आमंत्रित करना।

44. धर्म का प्रचार-प्रसार करना तथा लोगों के अन्दर धार्मिक भावनाओं का विकास करना।

शाहजादे

8

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | FIFTY RUPEES Rs.50

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 847854

45. बाढ़, भूकम्प, सूखा इत्यादि दैविक आपदाओं के समय स्वयं के श्रोत से, सरकारी श्रोतों से व अन्य श्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर राहत शिविरों का आयोजन करना एवं हर सम्भव मदद करना।

46. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदाता जागरण मंच तैयार करना एवं राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव हेतु कार्यक्रम संचालित करना।

47. जनहित में सरकारी/अर्धसरकारी/सहकारी/गैर सरकारी संस्था, स्वदेशी व विदेशी संस्थाओं एवं केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष तथा भारत सरकार से ऋण व अनुदान तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करना एवं इनसे सम्बद्धता प्राप्त कर जनसंख्या नियन्त्रण हेतु प्रभावी कार्यक्रम चलाना तथा सेमिनार, गोष्ठियों का आयोजन करना तथा विभिन्न तरिकों को अपनाकर जनसंख्या वृद्धि के भयावह दुष्परिणाम से अवगत कराना एवं जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने हेतु युद्ध स्तर पर कार्यक्रम चलाना तथा इसे जन आन्दोलन का रुप देना।

48. विश्व स्वास्थ्य संगठन, आक्सफेम, यूनिसेफ, ब्रेड फार द वर्ल्ड सेप, फोरेड इत्यादि अन्य राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रिय संस्थाओं से सम्बद्धता प्राप्त कर सामयिक शैक्षणिक तथा आर्थिक कार्यक्रमों को जनहित मे संचालित करना।

49. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित कलस्टर विकास योजना को संचालित एवं प्रचार–प्रसार करना।

50. लोक कलाकारों एवं शिल्पकारों को लोक कला एवं शिल्प कला के विकास के लिये हर सम्भव सहायता करना एवं प्रचार–प्रसार करना।

51. आँगनबाड़ी, बाल बाड़ी, पुष्टाहार योजना, मातृ–शिशु कल्याण योजनाओं तथा कस्तुरबा गाँधी योजना द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को संचालित करना। गावों एवं शहरों में पेयजल व सफाई इत्यादि की व्यवस्था करना/कराना। ऊसर तथा बेकार भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य कराना।

52. किसान सिक्षामित्रों की स्थापना एवं संचालन करना। कृषि उत्पादन बढ़ाने का हर सम्भव प्रयास करना जिसके लिये किसानों को नये तकनिकी यन्त्रों, उर्वरकों, बीजों, कीटनाशक दवाओं, इत्यादि का प्रयोग विधि व मात्रा बताना एवं उपलब्ध कराने का प्रयास करना। कृषि उपज का सही व जायज मूल्य प्राप्ति हेतु मिनी राईस मिलों, तेल मिलों इत्यादि की स्थापना करना व संचालन करना।

53. विशेष टास्क फोर्सो का गठन कर इनके द्वारा सामुहिक विवाहों का शिविर लगाकर आयोजन करना। दहेज, छुआ–छूत, बाल–विवाह इत्यादि जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना। दहेज पाड़ित व समाज द्वारा पीड़ित महिलाओं को उचित सहयोग व न्याय दिलाने का प्रयास करना। समाज के विभिन्न वर्गों

आदनाइ

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 847855

से निष्कासित, तलाकशुदा, विधवा निराश्रित महिलाओं, बालक/बालिकाओं के रख–रखाव एवं देख–रेख, शिक्षण–प्रशिक्षण, पुनर्वास की व्यवस्था सम्बन्धित कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं को करना/कराना व प्रचार–प्रसार करना/कराना।

54. औद्योगिक विकास एवं वानिकी कार्य को संचालित करना, जिससे प्रदुषण नियन्त्रण एवं इकोलाजिकल बैलेन्स से सम्बन्धित अन्य कार्य किये जा सकें। पर्यावरण प्रदुषण, वन्य जीव–जन्तु संरक्षण इत्यादि विषयों पर सामान्य जनता में जागरुकता पैदा करने हेतु आडियो–विडियो माध्यमों की सहायता लेना तथा फिल्मांकन करना।

55. वृबाकरा परिवार नियोजन कार्यक्रम, टीकाकरण, मद्यनिषेध, लेप्रोसी कार्यक्रम, एड्स बचाव के उपाय, कैंसर तथा साक्षरता इत्यादि के कार्यक्रमों के संचालन करना/कराना।

56. जनहित में ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को अपनाना, विशेष रोजगार योजना का संचालन करना/कराना, प्राविधिक, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना/कराना।

57. सरकारी एवं बौद्धिक क्षमता के अनुरुप शारीरिक, नेत्रहीन, अस्थि विकलांग, मुकबधिर एवं मानसिक विकलागों व अन्य तरह के विकलागों के लिये विशेष विद्यालय के साथ–साथ आवश्यकतानुसार एकीकृत व्यवस्था के तहत शिक्षण–प्रशिक्षण एवं पुनर्वासन का कार्य करना/कराना। निर्धन, असहाय तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को पुस्तकीय सहायता व छात्रवृत्ति की सुविधायें तथा अन्य प्रकार की सुविधायें उपलब्ध करना/कराना। जिससे वह पठन–पाठन का कार्य सुचारु रुप से कर सकें।

58. **Trust** वह सभी प्रकार के सामाजिक विकास व शिक्षण–प्रशिक्षण इत्यादि का कार्य करेगा जो एन.जी.ओ. द्वारा जनहित में संचालित किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार इन कार्यों हेतु सरकारी/अर्धसरकारी/सहकारी/गैर सरकारी/गैर सरकारी संस्था/विश्व बैंक, स्वदेशी व विदेशी संस्थाओं एवं केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के विभिन्न मन्त्रालयों से ऋण व अनुदान तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करना।

शहजादे

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 847856

ट्रस्ट की व्यवस्थापिका सभा (Legislative Trust Council)

पदाधिकारीगण के नाम, पता, पद व व्यवसाय जिनको Trust के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है–

क्रमांक	नाम	पिता / पति का नाम	पता	आयु	पद	जाति एंव धर्म	व्यवसाय
01	शहजादे खां	नबी अहमद	ग्रा0 भीरा पो0 भोपीरा त0 घोसी मऊ	26	मुख्य ट्रस्टी / प्रबन्धक	पठान / इस्लाम	समाजीक कार्यकर्ता
02	शमशाद खां	नबी अहमद	ग्रा0 भीरा पो0 भोपीरा त0 घोसी मऊ	24	जनरल सेकेटरी	पठान / इस्लाम	अध्यापन कार्य
03	शाहनवाज खां	अली अहमद	ग्रा0 भीरा पो0 भोपीरा त0 घोसी मऊ	23	सदस्य	पठान / इस्लाम	अध्यापन कार्य
04	हिना खातून	शहजादे खां	ग्रा0 भीरा पो0 भोपीरा त0 घोसी मऊ	24	सदस्य	पठान / इस्लाम	अध्यापन कार्य
05	तौफीक अहमद	अ0 अजीम	ग्रा0 भीरा पो0 भोपीरा त0 घोसी मऊ	23	सदस्य	पठान / इस्लाम	व्यापार

शहजादे

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 847857

06	मु0 मुजाहीद	हेसामुददीन	ग्रा0 भीरा पो0 भोपौरा त0 घोसी मऊ	23	सदस्य	अन्सारी / इस्लाम	व्यापार
07	रफीक अहमद	अ0 अजीम	ग्रा0 भीरा पो0 भोपौरा त0 घोसी मऊ	22	सदस्य	पठान / इस्लाम	व्यापार
08	सरफराज अहमद	नबी अहमद	ग्रा0 भीरा पो0 भोपौरा त0 घोसी मऊ	30	सदस्य	पठान / इस्लाम	अध्यापन कार्य
09	मो0 शाहीद खां	मो0 नबील खां	ग्रा0 भीरा पो0 भोपौरा त0 घोसी मऊ	25	सदस्य	पठान / इस्लाम	अध्यापन कार्य
10	शाहनवाज खां	महबूब खां	ग्राम टिघरा पो0 भोपौरा त0 सदर मऊ	24	सदस्य	पठान / इस्लाम	व्यपार
11	एजाज अहमद खां	मो0 तौहिद खां	ग्राम टिघरा पो0 भोपौरा त0 सदर मऊ	45	सदस्य	पठान / इस्लाम	व्यपार
12	महबूब अहमद	मो0 सईद खान	ग्राम तिघरा पो0 भोपौरा त0 सदर मऊ	45	सदस्य	पठान / इस्लाम	कृषि
13	तसौव्वर अली	मेहदी हसन खां	ग्राम मदापुर समसपुर घोसी मऊ	40	सदस्य	पठान / इस्लाम	व्यापार
14	मोहम्मद आरीफ खां	इसरारुल हक खां	ग्राम व पो0 हमीदपुर त0 सदर मऊ	27	सदस्य	पठान / इस्लाम	व्यापार
15	रफीउल्लाह खां	एहसान खां	ग्राम खालीसपुर पो0 जियनपुर त0 सगडी आजमगढ	35	सदस्य	पठान / इस्लाम	कृषि

शाहजादे

12

12

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 847858

ऊपरोक्त में से *Trust* के इस *Council* में निदेशक, प्रबन्ध निदेशक, कानूनी सलाहकार तथा दो सदस्य बनाये जायेंगे। जिनको *Chief Trusty* अपने सुविधानुसार/विवेकानुसार उचित समय पर नामित करेगा।

यह *Council, Trust* की सर्वोपरि *Legislative Council* होगी तथा *Trust* इसी *Council* के द्वारा बनाये गये नियमों/विनियमों के द्वारा संचालित किया जायेगा। इसके अलावा *Trust* में निम्न समितियों का गठन किया जायेगा।

1. ***Trust Council*** (***Trust*** **की विचार सभा)**
2. ***Executive Trust Council*** (***Trust*** **की कार्य निष्पादनी)**
3. ***Trust Board***

उक्त समितियों का गठन *Chief Trusty* स्वयं करेगें या *Trust* की *Legislative Council* के द्वारा गठन कर *Chief Trusty* के द्वारा अनुमोदित कराया जायेगा। जिसके अधिकार व कर्तव्य आगे दिये जायेंगे।

शाहजाद

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 847865

Definition of Trust Designations

1. Name of Trust : **Muslim Social Welfare Educetional Trust**

2. Address : **Gram-Bhira, Post- Bhopaur,** Ghosi, Distt- Mau (UP.) –275302.

3. Activities Area of Trust : Trust **का विस्तार सम्पूर्ण भारत वर्ष एवं विदेशों में भी होगा।**

4. Definition of Trust : Trust *में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो में –*

ट्रस्ट का तात्पर्य : **"Muslim Social Welfare Educetional Trust"** *से है।*

(A) *मुख्य ट्रस्टी का तात्पर्य* : **"Muslim Social Welfare Educetional Trust"** *के "मुख्य कर्ता–धर्ता" से है।*

(B) *संस्थापकमुख्य ट्रस्टी का तात्पर्य*: **"Muslim Social Welfare Educetional Trust"** *के स्थापना के समय के मुख्य ट्रस्टी से है।*

(C) **Trust Council** : Trust Council *का तात्पर्य ट्रस्ट की विचार सभा से है।*

(D) **Member of Trust Councilors'**: Member of Trust Councilors' *ट्रस्ट की विचार सभा के सदस्यों से है।*

(F) **Legislative Trust Council** : Legislative Trust Council *का तात्पर्य ट्रस्ट की व्यवस्थापक सभा से है।*

(G) **Member of Legislative Trust Council**: Member of Legislative Trust Council *का तात्पर्य ट्रस्ट की व्यवस्थापक सभा के सदस्यों से है।*

(H) **Executive Trust Council** : Executive Trust Council *का तात्पर्य ट्रस्ट के कार्य निष्पादनी*

शहजाद

14

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | भारत | सत्यमेव जयते | INDIA | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 847860

सभा से है।

(I) **Member of Executive Trust Council** : Member of Executive Trust Council का तात्पर्य ट्रस्ट के कार्य निष्पादनी सभा के सदस्यों से है।

(J) **बोर्ड (Board)** : बोर्ड का तात्पर्य ट्रस्ट के उस परिषद से है, जिसे किसी विशेष प्रायोजन हेतु ट्रस्ट की व्यवस्थापक सभा द्वारा गठित कर उस प्रायोजन को सम्पन्न कराने का अधिकार दिया जा सकता है।

(K) **सम्बन्ध समिति (Related Society)** : सम्बन्ध समिति का तात्पर्य उस समिति से है जिसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु Trust द्वारा सम्बद्धता प्रदान किया गया हो, तथा वह Societies Registration Act. के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

(L) **महानिदेशक (Director General)** : महानिदेशक का तात्पर्य मुख्य ट्रस्टी अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति विशेष से है।

(M) **निदेशक (Director)** : निदेशक का तात्पर्य ट्रस्ट के प्रबन्ध सभा (व्यवस्थापक सभा) द्वारा चयनित या मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति विशेष से है।

(N) **सचिव (Secretary)** : सचिव का तात्पर्य ट्रस्ट के विभिन्न अंगों के अलग–अलग नामित या चयनित सचिवों से है।

15

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 847861

ट्रस्ट की नियमावली (Bye-Laws of Trust)

गठन (Structure of Trust)

सदस्यों के वर्ग एवं ट्रस्ट की समितियाँ

(I). a- *मुख्य ट्रस्टी* **(Chief Trusty)** :–*मुख्य ट्रस्टी होगा, जो सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्त व Trust में उसका सर्वाधिकार सुरक्षित होगा। उसके अधिकार को किसी भी परिस्थिति मे बदला या हटाया या चुनौती नही दी जा सकेगी। किन्तु मुख्य ट्रस्टी यदि चाहे तो अपने कार्यों के संचालन के लिये अपने किसी विश्वासपात्र को अपने जगह नामित कर सकता है, जो मुख्य ट्रस्टी के सभी कार्यों का संचालन कर सकता है, किन्तु ऐसा नामित व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी नहीं अपितु महानिदेशक (Director General) का पद धारण करेगा तथा सभी निर्णय लेने में सक्षम होगा, बशर्ते उसका अनुपालन तभी सुनिश्चित होगा जब उसे* Chief Trusty *अनुमोदित कर दे। Trust में मुख्य ट्रस्टी का पद* **"Shahzade Khan S/o Nabi Ahmad"** *आजीवन धारण करेंगे तथा अपने रहते ही अपने इच्छानुसार उत्तराधिकारी ट्रस्टी नामित कर सकते हैं, जो Trust का उत्तराधिकार ग्रहण कर सकता है, तथा Chief Trusty के नही रहने पर Chief Trusty ही कहलायेगा। Trust पर अधिकार पूर्व में Chief Trusty द्वारा निर्धारित उत्तराधिकार वंशानुक्रम में ही होगा।*

b- Trust *का उत्तराधिकारी* :– Trust *का उत्तराधिकारी होगा, जो Chief Trusty द्वारा अपनी मृत्यु के पश्चात या अपने रहते ही कम से कम एक या अधिक से अधिक अपने इच्छानुसार उत्तराधिकारी ट्रस्टी नामित कर दे, जो Trust का उत्तराधिकार ग्रहण कर सकते है, तथा Chief Trusty के नही रहने पर Trust का अधिकार पूर्व में Chief Trusty द्वारा निर्धारित उत्तराधिकार के वंशानुक्रम में होगा।* Trust *का उत्तराधिकारी Chief Trusty के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पौत्र/पौत्री/पुत्रवधु में से ही कोई एक होगा, या Chief*

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 भारत FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AK 847862

Trusty के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पुत्रवधु/पौत्र/पौत्री के नहीं रहने पर इस उद्देश्य हेतु Chief Trusty द्वारा नामित माता, पिता, भाई, बहन, भतीजा, भतीजी, भान्जा, भान्जी, को भी किया जा सकता है, परन्तु Chief Trusty द्वारा यदि वसीयत लिखा गया होगा तो वसीयत को प्राथमिकता दिया जायेगा जो Chief Trusty के मृत्यु के पश्चात ही प्रभावी होगा तथा उत्तराधिकारी ट्रस्टी जो Chief Trusty के मृत्यु के पश्चात Chief Trusty कहलायेगा व Chief Trusty का जो भी सर्वाधिकार है उसे वह अपनी सुविधानुसार प्रयोग में लायेगा। यह प्रतिबन्ध जब तक Trust का आस्तित्व रहेगा तब तक चलता रहेगा। जिसे किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता। इस प्रतिबन्ध हेतु "Chief Trusty" का निर्णय ही सर्वोपरि होगा व अन्तिम होगा।

c- **Chief Trusty *की आकस्मिक मृत्यु*** :– यदि Chief Trusty की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, परन्तु उत्तराधिकारी ट्रस्टी नाबालिग है तो इस परिस्थिति में उत्तराधिकारी ट्रस्टी के बालिग होने तक Trust की देखभाल एक Legal Adviser Panel व Director General मिलकर करेगें परन्तु Legal Adviser Panel व Director General का Trust की परिसम्पत्तियों पर ऋण लेना व परिसम्पत्तियों को विक्रय करने का अधिकार किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा।

d- **Trust *के विघटन की कार्यवाही*** :– Trust के महासभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से Trust का विघटन हो सकेगा परन्तु इस हेतु "Chief Trusty" की सहमति अनिवार्य होगी।

(II) ***Trust Council***

यह Trust की विचार सभा है। इसका गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा –

(1) **Member of Trust Council** :– Trust Council में निम्न प्रकार के सदस्य सम्मिलित होंगे –

(क) **आजीवन सदस्य (Life Time Members)** :– जो व्यक्ति Trust को एक मुश्त रुपया 21000/00 देगा या इसके मूल्य के बराबर चल या अचल सम्पत्ति Trust के नाम से दान करेगा वह Trust का आजीवन सदस्य होगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस राशि के अलावा उसे लगातार 10 वर्षों तक रुपया 10000/00 वार्षिक सदस्यता शुल्क भी देना होगा। किन्तु Chief Trusty को यह विशेषाधिकार होगा कि अपने विवेकानुसार Trust हित में बिना शुल्क लिये भी किसी व्यक्ति को आजीवन सदस्य बना सकेगा।

शाहजादे

17

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

26AA 814388

(ख) <u>वार्षिक सदस्य (Annual Members)</u> :— ऐसे व्यक्ति जो संस्था हित में सोचते व कार्य करते रहेंगे और वार्षिक सदस्यता शुल्क के रुप मे रुपया **5000/00** प्रतिवर्ष देते रहेंगे। वे Trust के वार्षिक या साधारण सदस्य कहे जायेंगे।

(ग) <u>विशिष्ट सदस्य (Special Members)</u> :— Trust के प्रति हितैषी भाव रखने वाले सम्मानित साहित्यिक, राजनैतिक, कलाकार या अन्य किसी विशिष्ट गुणों से सम्पन्न व्यक्ति जो Trust को विशेषतया वार्षिक सहयोग देगें। *Chief Trusty* या महानिदेशक उन्हे सदस्य मनोनित करेंगे तथा वे विशिष्ट या संरक्षक सदस्य कहे जायेंगे। यदि इन सदस्यों में से किसी सदस्य को पदाधिकारी बनाना होगा तो पहले उन्हें *Chief Trusty* के द्वारा आजीवन सदस्य मनोनित किया जायेगा, तत्पश्चात पदाधिकारी बनाया जा सकता है। Trust Council मे ऐसे व्यक्ति अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, किन्तु उन्हे मताधिकार का प्रयोग नही करना होगा, किन्तु *Chief Trusty* चाहे तो उनमे से आवश्यकतानुसार सदस्यों को आपातकाल या विशेष परिस्थितियों में मत देने का अधिकार दे सकता है। विशिष्ट या संरक्षक सदस्यों में से जिन्हे *Chief Trusty* द्वारा आपातकालीन या विशेष परिस्थितियों में मत देने का अधिकार दिया गया उन्हे *Chief Trusty* के द्वारा तत्काल Trust Council मे सदस्य का दर्जा दिया जायेगा और वे Trust Council में उतने ही समय तक मताधिकार का प्रयोग कर सकते है जब तक कि उन्हें *Chief Trusty* के द्वारा सदस्य का दर्जा प्राप्त होगा, मुख्य ट्रस्टी के द्वारा यह दर्जा समाप्त किये जाने पर पुनः वे विशिष्ट या संरक्षक सदस्य की भूमिका में आ जायेंगे।

(2) <u>अर्हतायें</u> :—

<u>ऊपरोक्त प्रकार के सदस्यों के लिये निम्न अर्हतायें पुरा करना आवश्यक होगा</u> :—

a) उनकी उम्र **18** वर्ष से कम ना हो।
b) उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो।
c) प्रत्येक प्रकार के सदस्य Trust के नियमों/विनियमों के अनुपालन हेतु दृढ़ संकल्पित हों।
d) वह भारत का नागरिक हो या **N.R.I.** हो या किसी अन्य राष्ट्र का नागरिक होने की दशा में उस राष्ट्र का नागरिक होने का विधिवत प्रमाण पत्र रखता हो तथा Trust के नियमों का पालन करता हो और Trust के नियमों को पालन करने का वचन देता हो तत्पश्चात Trust के दो सदस्यों के द्वारा प्रमाणित किया जाय व Trust के अन्य दो सदस्यों की गवाही से उसे भी Trust की सदस्यता दी जा सकेगी।
e) वह व्यक्ति जो किसी आपराधिक मामले में दण्डित न हुआ हो।

भारतीय गैर न्यायिक
बीस रुपये Rs.20
रु.20 TWENTY RUPEES
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

26AA 814389

f) समाज का सम्मानित व्यक्ति हो।
g) पागल दिवालिया न हो।
h) किसी साधारण या संक्रमित रोगों से ग्रस्त न हो, यदि ऐसी स्थिति में किसी को सदस्य बनाना आवश्यक होगा तो Chief Trusty अपने विवेक से Trust हित में सदस्य बना सकता है किन्तु वे Trust Council की बैठक में भाग नहीं ले सकता है।
i) जो समाज के लिये आदर्श हो।
j) उपरोक्त प्रतिबन्धों के होते हुये भी इसके प्रतिकुल जाकर Chief Trusty किसी भी व्यक्ति को स्व–विवेक से सदस्य बना सकेगा।

(3) <u>सदस्यता की समाप्ति</u> :–
(a) उनकी मृत्यु हाने पर।
(b) पागल या दिवालिया होने पर।
(c) Trust के प्रति अनिष्टकारी कार्य करने पर।
(d) त्यागपत्र देने पर या अविश्वास प्रस्ताव आने पर। इस दशा में Chief Trusty का निर्णय सर्वोपरि व अन्तिम होगा।
(e) बिना किसी सूचना के लगातार तीन बैठकों में उपस्थित न होने पर।
(f) Trust के नियमों का पालन न करने पर या नियमित रुप से सदस्यता शुल्क न देने पर किन्तु जो सदस्य शुल्क से मुक्त है, उन पर यह धारा लागू नहीं होगी।
(g) किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर सदस्यता बिना किसी सूचना या नोटिस के स्वतः निलम्बित हो जायेगी, किन्तु Chief Trusty पर यह प्रतिबन्ध/धारा लागू नहीं होगी।
(h) ऊपरोक्त कोई भी प्रतिबन्ध/धारा Chief Trusty पर लागू नहीं होगी, तथा व्यक्ति विशेष के मामले में Chief Trusty ऊपरोक्त किसी भी प्रतिबन्धों/धाराओं से छूट दे सकेगा।

(4) <u>Trust Council की बैठकें</u> :– वर्ष में दो बार मार्च व सितम्बर माह में होगी या Chief Trusty के बुलाने पर कभी भी हो सकेगा।

शहजाद

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

26AA 814390

(5) ***सूचना अवधि*** :– **Trust Council** की समस्त बैठक की सूचना सभी सदस्य को लिखित रुप से या **eMail** द्वारा या प्रकाशन द्वारा या टेलीफोनिक द्वारा **10** दिन पूर्व दे दी जायेगी। आपातकालिन/विशेष बैठक की सूचना **24** घण्टे पूर्व किसी भी त्वरित माध्यम से दी जायेगी।

(6) ***गणपूर्ति*** :– **Trust Council** की गणपूर्ति के लिये **Chief Trusty** तथा **Trust Council** के प्रत्येक प्रकार के सदस्यों में से एक–एक सदस्य की उपस्थिति हो तो गणपूर्ति मान ली जायेगी। परन्तु इस दशा में **Chief Trusty** का निर्णय सर्वोपरि व अन्तिम होगा।

(7) **Trust Council *के कर्तव्य*** :–

- (a) ***Trust Council, Legislative Trust Council*** एवं ***Executive Trust Council*** का गठन एवं चुनाव कराना। किन्तु इसमें **Chief Trusty** की सहमति होनी आवश्यक है, तथा मुख्य ट्रस्टी से अनुमोदन भी कराना आवश्यक होगा। (मुख्य ट्रस्टी चुनाव से मुक्त आजीवन मुख्य ट्रस्टी है)
- (b) ***Legislative Trust Council*** द्वारा पास किये गये प्रस्ताओं का अनुमोदन करना व **Chief Trusty** को अनुमोदनार्थ प्रेषित करना या उन पर विचार करना या पुनर्विचार के लिये वापस करना या उन्हें स्थगित करना।
- (c) **Trust** की बजट पर विचार करना व अनुमोदन करके **Chief Trusty** से अनुमोदन कराना।
- (d) **Trust** के नियमों/विनियमों/संशोधनों/परिवर्धनो पर विचार करना।
- (e) **Trust** के चल/अचल सम्पति की देखभाल करना।
- (f) ***Legislative Trust Council*** एवं ***Executive Trust Council*** पर नियन्त्रण रखना।
- (g) यदि **Chief Trusty** चाहे तो **Trust Council** के सभी अधिकार व कर्तव्य अपने पास सुरक्षित रख सकता है।

(8) **Trust Council *का कार्यकाल*** :–

- (a) **Trust Council** का कार्यकाल सामान्यतया 5 वर्ष का होगा, किन्तु **Chief Trusty** चाहे तो कार्यकाल का विस्तार कर सकेगा अथवा समय से पूर्व भंग कर सकता है।
- (b) **Chief Trusty** का कार्यकाल आजीवन **Chief Trusty** का रहेगा।

(9) **Trust *की निधियाँ*** :–

20

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3644 814400

(A) नकद या सरकारी प्रतिभुतियाँ अथवा जमींदारी विनाश बन्धों के रुप में प्रभूति निधि (इण्डावमेन्ट) या रक्षित निधि किसी भी बैंक या डाकघर में *Trust* के खातों में रखी जायेगी। इन खातों का संचालन स्वयं *Chief Trusty* करेगा।

(B) *Trust* द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन संस्थाओं द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक/सचिव द्वारा किया जायेगा।

(10) ***Trust के नियमों/विनियमों में संशोधन की प्रकिया*** :– *Trust* के नियमों/विनियमों में कोई भी संशोधन/परिवर्तन *Chief Trusty* द्वारा यदि आवश्यक हो तो कानूनी सलाहकार की सहमती से किया जा सकेगा तथा इसे *Legislative Trust Council* को अवगत कराकर *Trust* पर लागू किया जा सकेगा। किन्तु *Chief Trusty* स्वेक्षा से कोई भी परिवर्तन/संशोधन लागू कर सकेगा जो सर्वमान्य व अन्तिम होगा।

(11) ***Trust के अभिलेख*** :– *Trust* के पास निम्न अभिलेख होंगे –

(क) सदस्यता रजिस्टर (ख) कार्यवाही रजिस्टर (ग) सूचना पंजिका

(घ) लेजर बुक, कैश बुक आदि जिसके रख–रखाव की संयुक्त जिम्मेदारी प्रबन्ध निदेशक व सचिव की होगी। जो अपने *Trust* के कार्यालय/मुख्यालय पर सुरक्षित रखेंगे।

(12) "Muslim Social Welfare & Educational Trust" नामक *Trust* के स्थापना धनराशि रु0 ~~1~~0000/00 (रु0 दस हजार मात्र) होगा, जिसका वह पूर्ण स्वत्वाधिकारी होगा। जो *Trust* की सम्पत्ति कही जायेगी। जिसका उपयोग न्यासीगण ऊपरिवर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग करेंगे।

(13) ***Trust का मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय*** :– *Trust* का पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय *Chief Trusty* द्वारा आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है। इस हेतु *Chief Trusty* का निर्णय सर्वोपरि व अन्तिम होगा।

Parts of Trust Councils

(a) Legislative Trust Council

(b) Executive Trust Council

शहजाद

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

26AA 814392

(a) **Legislative Trust Council** :– यह **Trust** की व्यवस्थापक सभा होगी। इसका गठन निम्न प्रकार से होगा –

1. ***निदेशक* (Director) *की नियुक्ति*** :– **Trust** की **Legislative Council** में एक निदेशक होगा जिसका चयन नियमावली के धारा **II** के वर्णित उपधारा 1(क), 1(ख) व 1(ग) के सदस्यों में से किया जायेगा। जो कि चुनाव प्रक्रिया द्वारा कुल सदस्यों के **2/3** बहुमत से किया जा सकेगा, किन्तु यदि **Chief Trusty** चाहे तो स्वतः उनमें से किसी को या गैर सदस्य को भी इस हेतु मनोनित कर सकेगा। इस हेतु **Chief Trusty** का निर्णय सर्वोपरि होगा व अन्तिम होगा।
2. ***प्रबन्ध निदेशक* (Managing Director) *की नियुक्ति*** :– **Legislative Trust Council** में एक प्रबन्ध निदेशक होगा जिसका चयन नियमावली के धारा **II** के वर्णित उपधारा 1(क), 1(ख) व 1(ग) के सदस्यों में से किया जायेगा। जो कि चुनाव प्रक्रिया द्वारा कुल सदस्यों के **2/3** बहुमत से किया जा सकेगा, किन्तु यदि **Chief Trusty** चाहे तो स्वतः उनमें से किसी को या गैर सदस्य को भी इस हेतु मनोनित कर सकेगा जो कि **Trust Council** में भी सर्वमान्य होगा। इस हेतु **Chief Trusty** का निर्णय सर्वोपरि होगा व अन्तिम होगा।
3. ***सचिव* (Secretary) *की नियुक्ति*** :– **Legislative Trust Council** के कार्यों को सुचारु रुप से चलाने हेतु लेखा–जोखा आदि कार्यों को देखने हेतु एक सचिव होगा, इस पद पर **Chief Trusty** / महानिदेशक (**Director General**) अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति का चयन कर सकेगा तथा यदि वह व्यक्ति **Trust Council** में किसी भी प्रकार की सदस्यता नहीं रखता हो तो इसकी सूचना **Trust Council** को दी जाएगी। ऐसे **Secretary** का चयन/मनोनयन **Trust Council** के सदस्यों में से या गैर सदस्य का भी चयन किया जा सकता है। इस हेतु **Chief Trusty** का निर्णय सर्वोपरि होगा व अन्तिम होगा।
4. ***कानूनी सलाहकार पैनल* (Legal Adviser Panel) *की नियुक्ति*** :– **Trust** के विधिक क्रिया–कलापों/कार्यों व मुकदमों में **Trust** का पक्ष रखने हेतु एक **Legal Adviser Panel** का चयन किया जायेगा, जो विधिक जानकारी के साथ ही **Trust** एवं **Trust** में लिखित धाराओं/प्रतिबन्धों का विशेष जानकारी रखता हो और **Trust** में किसी भी प्रकार के विवाद की पैरवी व निपटारा करा सकेगा। इस पद पर भी **Chief Trusty** /**Director General** द्वारा नामित किया जायेगा, इसकी

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 26AA 814393

सूचना ***Trust Council*** को दी जाएगी। इस हेतु ***Chief Trusty*** का निर्णय सर्वोपरि होगा व अन्तिम होगा।

5. ***सहायक ट्रस्टी* (Additional Trusty) *की नियुक्ति व कार्य*** :– Trust में कम से कम एक या एक से अधिक Legislative Trust Council के Member होंगे जिनकी संख्या का निर्धारण Chief Trusty करेगा तथा वे Additional Trusty कहे जायेंगे। आवश्यकतानुसार इनकी संख्या Chief Trusty घटा या बढ़ा सकता है तथा Trust में कार्य की हिस्सेदारी भी Chief Trusty ही निर्धारित करेगा। इस हेतु Chief Trusty का निर्णय सर्वोपरि होगा व अन्तिम होगा।

6. ***ट्रस्ट की व्यवस्थापक सभा* (Legislative Trust Council) *की बैठकें*** :– ***Legislative Trust Council*** की बैठकें निम्न प्रकार से होंगी –

(a) ***Legislative Trust Council*** की बैठक हर तीसरे महिनें हुआ करेगी तथा जरूरत पड़ने पर ***Chief Trusty*** द्वारा कभी भी आवश्यकतानुसार बैठक बुलायी जा सकती है।

(b) ***बैठकों की सूचना अवधि*** :– साधारण बैठक की सूचना सभी सदस्य को लिखित रुप से या ***eMail*** द्वारा या प्रकाशन द्वारा या टेलीफोनिक द्वारा **10** दिन पूर्व दे दी जायेगी। आपातकालीन/विशेष बैठक की सूचना **24** घण्टे पूर्व किसी भी त्वरित माध्यम से दी जायेगी।

(c) ***गणपूर्ति*** :– ***Legislative Trust Council*** की गणपूर्ति, मुख्य ट्रस्टी के अलावा एक अन्य सदस्य की उपस्थिति से ही ***Legislative Trust Council*** की गणपूर्ति मान ली जायेगी या ***Chief Trusty*** अकेले भी कोई निर्णय लेने में सक्षम होगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

(d) **Legislative Trust Council *का कार्यकाल*** :– ***Chief Trusty*** के अलावा ***Legislative Trust Council*** का कार्यकाल सामान्यतया 7 वर्ष का होगा, किन्तु ***Chief Trusty*** चाहे तो कार्यकाल का विस्तार कर सकेगा अथवा समय से पूर्व भंग कर सकता है। ***Chief Trusty*** का कार्यकाल आजीवन मुख्य ट्रस्टी रहेगा।

(e) ***रिक्त स्थानों की पूर्ति*** :– ***Legislative Trust Council*** में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु ***Chief Trusty /Director General*** किसी भी व्यक्ति को शेष समय के लिये नामित कर सकते हैं। इस हेतु ***Chief Trusty*** का निर्णय सर्वोपरि होगा व अन्तिम होगा।

7. **Legislative Trust Council *के कर्तव्याधिकार तथा कृत्य*** :–

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

26AA 814394

(a) बजट पर विचार करना और उसे स्वीकृत करने हेतु Chief Trusty के यहाँ प्रेषित करना।

(b) Executive Trust Council का गठन व संचालन करने हेतु Chief Trusty के यहाँ प्रस्ताव व अनुमोदन के लिये भेजना।

(c) Trust बोर्डों का गठन कर उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित करना व उन पर नियन्त्रण रखना।

(d) Trust के नियमों/विनियमों/संगत धाराओं आदि में संशोधन/परिवर्तन/परिमार्जन आदि 2/3 बहुमत से करना व अनुमोदन के लिये Chief Trusty के यहाँ भेजना। किन्तु इस मामले में यदि Chief Trusty चाहें तो वह स्वयं संशोधन कर सकते हैं। इस हेतु Chief Trusty का निर्णय सर्वोपरि होगा व अन्तिम होगा।

(e) Trust के चल व अचल सम्पत्ति की देखभाल व सुरक्षा करना।

(f) Trust की ओर से सभी प्रकार का पत्राचार आदि जो कि सचिव के माध्यम से होगा उसकी जानकारी रखना।

(g) वैतनिक व अवैतनिक कर्मचारियों/पदाधिकारियों की नियुक्ति/कार्य मुक्ति/पुरस्कृत/दण्डित करना तथा यदि वैतनिक कर्मचारी हो तो उनकी आचरण पुस्तिका व सेवा पुस्तिका आदि का निर्माण व समीक्षा करना व अनुमोदम के लिये Chief Trusty के यहाँ भेजना। इस हेतु Chief Trusty का निर्णय सर्वोपरि होगा व अन्तिम होगा।

(h) Trust के लिये चल व अचल सम्पत्ति जुटाना।

(i) Trust से विभिन्न प्रोजेक्ट आदि का संचालन करना, व अन्य संस्थानों आदि से सम्बद्धता प्रदान करने हेतु Chief Trusty को प्रेषित करना।

(j) Trust की बजट में सम्मिलित किये जाने हेतु Trust से सम्बद्ध अन्य संस्थानों/समितियों से सम्बन्धित नई माँगों की अनुसूचिओं को देखना जिन्हें उसने सम्बद्धता प्रदान की हो, यदि वह उचित समझे तो उसे पास करना या Trust Council में विचारार्थ भेजना।

(k) उक्त सभी अधिकार व कर्त्तव्य अकेले Chief Trusty में भी सम्मिलित हो सकेगा और Chief Trusty का निर्णय सर्वोपरि होगा व अन्तिम होगा।

8. **Legislative Trust Council के पदाधिकारियों के कर्तव्य, अधिकार तथा कृत्य :–**

(A) **Chief Trusty / Director General के कर्तव्य, अधिकार व कृत्य :–**

शाहजाद

24

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

26AA 814395

- सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
- **Trust** के चल व अचल सम्पत्ति की देखभाल व सुरक्षा करना व **Trust** में कर्मचारियों का निरीक्षण करना।
- विवादों की स्थिति में निर्णायक मत देना। किसी भी विवाद की स्थिति मे ***Chief Trusty*** का निर्णय सर्वोपरि होगा व अन्तिम होगा।
- बैठकों में शान्ति कायम रखने हेतु समुचित व्यवस्था करना।
- विशेष बैठकों के आयोजन हेतु ***Secretary*** को निर्देशित करना।
- ***Trust Council & Legislative Trust Council*** की बैठक हेतु ***Secretary*** को निर्देशित करना।
- **Trust** हेतु चन्दा, दान, सहयोग आदि श्रोतों से धन इकट्ठा करना एवं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में **Trust** का खाता खोलकर उसका संचालन स्वयं करना एवं यदि आवश्यकता पड़े तो आवश्यकतानुसार ***Trust Council/Legislative Trust Council*** के किसी पदाधिकारी को बैंक के खाते को सहसंचालित/संचालित करने हेतु नामित करना।
- बैठकों को सुविधानुसार बुलाना, स्थगित करना एवं परिवर्तन करना या अनुमोदन करना।
- कर्मचारियों/पदाधिकारियों की नियुक्ति/कार्य मुक्ति/पुरस्कृत/पदोन्नति/दण्डित करना तथा उनकी आचरण पुस्तिका व सेवा पुस्तिका पर हस्ताक्षरित करना एवं इस हेतु अन्य को भी अधिकार देना।
- **Trust** के नियमों/विनियमों/संगत धाराओं आदि मे संशोधन/परिवर्तन/परिमार्जन आदि करना तथा **Trust** हित में अन्य लिये गये निर्णयों को ***Secretary*** के माध्यम से ***Legislative Trust Council*** व ***Trust Council*** को अवगत कराना। इस हेतु ***Chief Trusty*** का निर्णय सर्वोपरि होगा व अन्तिम होगा।
- **Trust** हित में सभी प्रकार का सर्वाधिकार सुरक्षित रखना एवं निर्णय लेना। ***Trust Council*** में सदस्य नामित करना एवं ***Legislative Trust Council*** में पदाधिकारी नामित करना जब चयनित करना हो या आकस्मिक रिक्ति हो। इस हेतु ***Chief Trusty*** का निर्णय सर्वोपरि होगा व अन्तिम होगा।
- ***Executive Trust Council*** का गठन करना एवं **Trust** परिषदों का गठन पर अन्तिम निर्णय देना व उसके लिये नियम बनाना व उसे लागू करना।

25

25

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये   Rs.20

रु.20   TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   26AA 814396

- Trust हित के लिये चल/अचल सम्पत्ति, भूमि–भवन आदि का क्रय–विक्रय करना व दान के रुप में मिले अचल सम्पत्ति को Trust हित के लिये के लिये विक्रय करना तथा सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों से भूमि–भवन पट्टे पर/दान में/क्रय करके लेना। इस हेतु Chief Trusty का निर्णय सर्वोपरि होगा व अन्तिम होगा।
- Chief Trusty द्वारा अन्य संचालित संस्थाओं के लिये चल/अचल सम्पत्ति, भूमि–भवन आदि का क्रय–विक्रय करना व दान के रुप में मिले भूमि–भवन आदि का विक्रय करना या संचालित संस्थाओं को भूमि–भवन पट्टे पर देना या दान करना या विक्रय करना इत्यादि कार्य करना। सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों से भूमि–भवन पट्टे पर/दान में/क्रय करके लेना। इस हेतु Chief Trusty का निर्णय सर्वोपरि होगा व अन्तिम होगा।
- Trust से सम्बन्धित सभी अथवा कुछ चल/अचल परिसम्पत्ति पर जमानत रहित/सहित, अथवा बन्धक या गिरवी रखकर या किसी भी अन्य तरीके से Trust के हित के लिये ऋण ले सकता व प्राप्त कर सकता है।
- Chief Trusty किसी भी सदस्य को बिना कारण बताये निकाल सकता है। इस हेतु Chief Trusty का निर्णय सर्वोपरि होगा व अन्तिम होगा।
- Chief Trusty किसी भी सामान्य उद्‌देश्य से किसी भी अन्य संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने Trust में कर सकता है। इस हेतु Chief Trusty का निर्णय सर्वोपरि होगा व अन्तिम होगा।
- सभी परीषदों के पदाधिकारियों व सदस्यों एवं अन्य संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन, बर्खास्तगी व भंग करने का अधिकार स्वयं Chief Trusty के पास सुरक्षित है। इस हेतु Chief Trusty का निर्णय सर्वोपरि होगा व अन्तिम होगा।
- Trust के माध्यम से भविष्य में जो भी संस्थान/संस्थायें खोली जायेंगी उनका नामकरण करना।
- Trust द्वारा संचालित संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों में निर्धारित शर्तों व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को Trust के कार्य हेतु नियुक्त करना उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, पदोन्नति एवं पदच्युत करना। Trust के ऐसे कार्यों को किसी भी न्यायालय या ट्रयूनल आदि में विवादित नहीं किया जा सकता है और न ही चुनौती दी जा सकेगी।

(B) <u>निदेशक (Director) के कर्तव्य, अधिकार व कृत्य</u> :–

शहजाद

26

26

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

26AA 814397

- **Chief Trusty** के आदेशानुसार **Trust** में कर्मचारियों/पदाधिकारियों की नियुक्ति/कार्य मुक्ति/पुरस्कृत/पदोन्नति/दण्डित करना तथा उनके आदेशानुसार उनसे कार्य कराना।
- **Trust** के लिये अन्य श्रोतों से धन एकत्रित करना। **Trust** की सम्पत्तियों की सुरक्षा करना।
- **Trust Council & Legislative Trust Council** के प्रति उत्तरदायी होना।
- **Trust** परिषदों पर नियन्त्रण रखना।
- **Trust** की ओर से **Membership Certificates** जारी करना।
- किसी भी प्रकार की बैठक की सूचना सचिव **(Secretary)** के माध्यम से जारी करना।
- **Trust** की ओर से पत्राचार करना।
- अन्य कोई भी कार्य जो **Trust** हित में **Chief Trusty** द्वारा सौंपा जाय उसका अनुपालन करना।

(C) <u>प्रबन्ध निदेशक **(Managing Director)** के कर्तव्य, अधिकार व कृत्य</u> :–

- **Trust** हेतु चन्दा/दान इत्यादि श्रोतों से धन इकट्ठा करना।
- **Chief Trusty** द्वारा दिये गए सभी अधिकारों, कर्तव्यों का पालन करना व कराना।
- किसी भी प्रकार की बैठक की सूचना सचिव **(Secretary)** के माध्यम से प्रसारित करना।
- **Executive Trust Council** पर नियन्त्रण रखना तथा अनेक प्रोजेक्टों व अन्य कार्यों हेतु विभिन्न **Additional** (सहायक) **Executive Trust Council** का गठन करना, उनमें आवश्यकतानुसार पद सृजित करना एवं पदों हेतु योग्यता का निर्धारण करना।
- **Executive Trust Council** के कर्मचारियों/पदाधिकारियों से कार्य लेना, तथा उनके सेवा व शर्तों आदि का निर्धारण करना तथा उन्हें वेतन आदि की व्यवस्था करना।
- निदेशक के आदेशानुसार **Trust Council** का गठन करना एवं उनके अधिकार व कर्तव्यों का निर्धारण **Chief Trusty** के आदेशानुसार करना, तथा उनके वेतन इत्यादि की व्यवस्था करना।
- **Trust Council** में वैतनिक व अवैतनिक कर्मचारियों/पदाधिकारियों की नियुक्ति आदि की व्यवस्था करना।
- अन्य कोई भी कार्य जो **Chief Trusty** द्वारा सौंपा जाय उसका अनुपालन करना।

(D) <u>महासचिव/सचिव **(Secretary)** के कर्तव्य, अधिकार व कृत्य</u> :–

शहजाद

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AC 155788

- Chief Trusty/Director General/Director/Managing Director के आदेश पर बैठकों की सूचना प्रसारित करना/नोटिस देना इत्यादि।
- बैठकों की कार्यवाही लिखना एवं बैठकों की अध्यक्षता कर रहे अधिकारी से प्रमाणित कराकर सुरक्षित रखना। रसीद एवं बहियों का निरीक्षण करना तथा उनकी सुरक्षा करना।
- Trust Council एवं Legislative Trust Council का महासचिव एक ही व्यक्ति होगा जो इनके लिये कार्य करेगा तथा Executive Trust Council एवं उसके द्वारा गठित सहायक Trust Council के लिये अलग-अलग सचिव होंगे एवं Trust के जिस भाग हेतु सचिव नियुक्ति किया जायेगा वह सिर्फ उसी भाग का कार्य कर सकेगा। किन्तु यदि Chief Trusty चाहे तो किसी सचिव से कोई भी कार्य ले सकेगा।
- Trust के कोष पर Chief Trusty के आदेशानुसार या सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार नियन्त्रण रखना।

(इ) <u>कानूनी सलाहकार (Legal Adviser) के कर्तव्य, अधिकार व कृत्य</u>:-

- Trust की ओर से अदालती कार्यवाही करना।
- Trust के उत्पन्न विवादों की पैरवी करना एवं निपटारा कराना।
- Trust के संगत धाराओं स्मृति पत्र/नियमावली आदि में संशोधन/परिवर्तन/परिष्करण आदि करना किन्तु इस हेतु Chief Trusty की सहमति आवश्यक होगी।
- Trust की ओर से अदालती कार्यवाही करने हेतु वैतनिक/अवैतनिक कर्मचारी/पदाधिकारी नियुक्ति हेतु Chief Trusty को प्रेषित करना।
- Trust में किसी भी विवादास्पद स्थिति में उचित कानुनी सलाह देना।
- अन्य वे सभी कानूनी एवं न्यायिक कार्य जो Chief Trusty द्वारा सौंपा जाय।

9. **<u>Trust Board</u>** :- Trust के विस्तार हेतु Trust के कार्य क्षेत्रों में कार्य को सुचारु रुप से सम्पन्न कराने हेतु Trust द्वारा विभिन्न परिषदों का गठन किया जायेगा। Trust की व्यवस्थापक सभा (Legislative Council) जैसा भी उचित समझेगी Chief Trusty के सहमति व अनुमोदन से Trust बोर्डों का गठन करेगी तथा इसके लिये नियम कानून आदि बनायेगी। Chief Trusty के आदेशानुसार विभिन्न Trust बोर्ड व Societies का अपना-अपना Account किसी भी बैंक/डाकघर में खोला जायेगा व संचालित किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AC 155789

इन खातों का संचालन Trust Board अथवा Socitiese के प्रबन्धक/सचिव या Chief Trusty स्वयं या उनके द्वारा नामित सदस्य करेंगे।

10. <u>आय–व्यय का लेखा</u> :– प्रत्येक वर्ष Trust के आय–व्यय का आगणक किसी मान्यता प्राप्त Chartered Accountant से कराया जायेगा एवं Legislative Trust Council द्वारा Chief Trusty को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(b) Executive Trust Council

(A) **<u>Executive Trust Council का गठन</u>** :– यह Trust की कार्य निष्पादनी सभा होगी जिसमें निदेशक, प्रबन्ध निदेशक व सचिव के अलावा Chief Trusty अथवा Chief Trusty द्वारा नामित सदस्य होंगे। जिन्हें विभिन्न कार्यों को सम्पादित करने की जिम्मेदारी Chief Trusty द्वारा दी जायेगी। कार्य सम्पादनी सभा अपने निर्धारित उद्देश्यों हेतु विभिन्न बैंको में खाते आदि का संचालन Chief Trusty/Director General की अनुमति से करेगी अथवा इन खातों का संचालन Chief Trusty द्वारा नामित व्यक्ति करेगा।

1. **<u>निदेशक (Director) की नियुक्ति</u>** :– Trust की Executive Council में एक निदेशक होगा जिसका चयन नियमावली के धारा **II** के वर्णित उपधारा 1(क), 1(ख) व 1(ग) के सदस्यों में से किया जायेगा। किन्तु यदि Chief Trusty चाहे तो स्वतः उनमें से किसी को या गैर सदस्य को भी इस हेतु मनोनित कर सकता है। इस हेतु Chief Trusty का निर्णय सर्वोपरि होगा व अन्तिम होगा।
2. **<u>प्रबन्ध निदेशक (Managing Director) की नियुक्ति</u>** :– Executive Trust Council में एक प्रबन्ध निदेशक होगा जिसका चयन नियमावली के धारा **II** के वर्णित उपधारा 1(क), 1(ख) व 1(ग) के सदस्यों में से किया जायेगा या उन्ही सदस्यों में से Chief Trusty द्वारा नामित किया जायेगा, किन्तु यदि Chief Trusty चाहे तो गैर सदस्य को भी इस हेतु मनोनित कर सकता है। जो कि Trust Council में भी सर्वमान्य होगा। इस हेतु Chief Trusty का निर्णय सर्वोपरि होगा व अन्तिम होगा।

29

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AC 155790

3. ***सचिव* (Secretary) *की नियुक्ति*** :– ***Executive Trust Council*** के कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु लेखा–जोखा आदि कार्यों को देखने हेतु एक सचिव होगा, इस पद पर ***Chief Trusty/*** महानिदेशक ***(Director General)*** अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति का चयन कर सकेगा तथा ऐसे ***Secretary*** का चयन/मनोनयन ***Trust Council*** के सदस्यों में से या गैर सदस्य का भी चयन किया जा सकता है। इस हेतु ***Chief Trusty*** का निर्णय सर्वोपरि होगा व अन्तिम होगा।

(B) <u>Executive Trust Council के पदाधिकारियों के कर्तव्य, अधिकार तथा कृत्य</u> :–

A. <u>निदेशक (Director) के कर्तव्य, अधिकार व कृत्य</u> :–

- ***Chief Trusty*** के आदेशानुसार ***Executive Trust Council*** में कर्मचारियों/पदाधिकारियों की नियुक्ति/कार्य मुक्ति/पुरस्कृत/पदोन्नति/दण्डित करना तथा उनके आदेशानुसार उनसे कार्य कराना।
- ***Trust*** के लिये अन्य श्रोतों से धन एकत्रित करना।
- ***Trust*** की सम्पत्तियों की सुरक्षा करना।
- ***Executive Trust Council*** के प्रति उत्तरदायी होना।
- ***Trust*** परिषदों पर नियन्त्रण रखना।
- किसी भी प्रकार की बैठक की सूचना सचिव ***(Secretary)*** के माध्यम से जारी करना।
- ***Executive Trust Council*** की ओर से पत्राचार करना।
- अन्य कोई भी कार्य जो ***Trust*** हित में ***Chief Trusty*** द्वारा सौंपा जाय उसका अनुपालन करना।

B. <u>प्रबन्ध निदेशक (Managing Director) के कर्तव्य, अधिकार व कृत्य</u> :–

- ***Trust*** हेतु चन्दा/दान इत्यादि श्रोतों से धन इकट्ठा करना।
- ***Chief Trusty*** द्वारा दिये गए सभी अधिकारों, कर्तव्यों का पालन करना व कराना।
- किसी भी प्रकार की बैठक की सूचना सचिव ***(Secretary)*** के माध्यम से प्रसारित करना।

शहजाद

30

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AC 155791

- अनेक प्रोजेक्टो व अन्य कार्यों हेतु विभिन्न **Additional** (सहायक) **Executive Trust Council** का गठन करना, उनमें आवश्यकतानुसार पद सृजित करना एवं पदों हेतु योग्यता का निर्धारण करना।
- **Additional** (सहायक) **Executive Trust Council** कर्मचारियों/पदाधिकारियों से कार्य लेना, उनके सेवा व शर्तों आदि का निर्धारण करना तथा उन्हें वेतन आदि की व्यवस्था करना।
- उनके अधिकार व कर्तव्यों का निर्धारण **Chief Trusty** के आदेशानुसार करना।
- अन्य कोई भी कार्य जो **Chief Trusty** द्वारा सौंपा जाय उसका अनुपालन करना।

C. <u>सचिव (Secretary) के कर्तव्य, अधिकार व कृत्य</u> :–

- **Chief Trusty / Director General / Director / Managing Director** के आदेश पर बैठकों की सूचना प्रसारित करना/नोटिस देना इत्यादि।
- बैठकों की कार्यवाही लिखना एवं बैठकों की अध्यक्षता कर रहे पदाधिकारी से प्रमाणित कराकर सुरक्षित रखना।
- रसीद एवं बहियों का निरिक्षण करना तथा उनकी सुरक्षा करना।
- **Executive Trust Council** एवं उसके द्वारा गठित सहायक **Executive Trust Council** के लिये अलग–अलग सचिव होंगे एवं Trust के जिस भाग हेतु सचिव नियुक्ति किया जायेगा वह सिर्फ उसी भाग का कार्य कर सकेगा। किन्तु यदि **Chief Trusty** चाहे तो किसी सचिव से कोई भी कार्य ले सकेगा।
- **Executive Trust Council** के कोष पर Chief Trusty के आदेशानुसार या सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार नियन्त्रण रखना।

(III) Trust में विवाद एवं उसका निपटारा :– **Trust** में किसी भी प्रकार का विवाद का मुकदमा सम्बन्धित मुख्यालय के जनपदीय न्यायालय में की जायेगी तथा उसकी पैरवी **Trust** के **Legal Adviser** द्वारा अथवा **Chief Trusty** द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

टाईपकर्ता – मजफुर समसपुर छावनी पो० घोसी
जनपद – मऊ

31

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AC 155799

द० शाहजादे

गवाह:

सरफराज अहमद S/o मुमताज अहमद
ग्रा० - महादुर समद पुरखलील घोसी मऊ

गवाह :-

मु० असलम खाँ S/o जनरातुल हक
ग्रा०पो० मदवासराय त० घोसी मऊ

मशवीदाह कर्त्ता — मोमिन आजमी तहसील घोसी मऊ

स्थान- घोसी

दि० - 28-01-2015

STAMP

NOV 2014

O.C. C.T.O.

28-1-15

275/334

8

02